पत्रांकः--वन भूमि--16 / 2022...................../प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक--सह--अपर सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची--834002

पटना--15, दिनांक.........................

विषय :-- भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80, भागलपुर--कहलगाँव--मिर्जाचौकी (132.895--190.150 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.559 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत NH-80, भागलपुर--कहलगाँव--मिर्जाचौकी (132.895--190.150 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 41.559 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या--921(E) दिनांक--28.08.1997 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 41.559 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 6563 वृक्षों में से 3672 वृक्षों का पातन, 2891 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित है। उन्हीं वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिनका पुनर्स्थापन विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.04 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण--पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक--11--43 / 2013--FC दिनांक--26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण--पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज--1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 41.559 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 83.118 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल बांका के बांका वन प्रक्षेत्र के लौढ़िया टोला--रामनगर, बराडी से ललमटिया सरारी सुरक्षित वन को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र- II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 41.559 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 3,98,04,379/–(तीन करोड़ अन्ठानवे लाख चार हजार तीन सौ उनासी रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 41.559 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बांका वन प्रमंडलन्तर्गत 83.118 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 1,42,08,483/–(एक करोड़ बियालीस लाख आठ हजार चार सौ तिरासी रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1224/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–16/2022................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..............................
प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–16/2022 1140 (वि)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 13/06/2022
प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

13.6.2022
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-235

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 41.559 ha. forest land for construction of Rehabilitation and upgrading to Bhagalpur-Kahalgaon-Mirzachouki Road under Bhagalpur District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 13.6.2022

Place:- PATNA

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

Official Seal:-